[1]संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1959

(सं0 आ0 58)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने अपने प्रसाद से निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात् :---

1. यह आदेश संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1959 कहा जा सकेगा ।

2. वे जनजातियां या जनजाति समुदाय, या जनजातियों या जनजाति समुदायों के भाग या उनमें के यूथ जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ठ हैं, अंडमान और निकोबार द्वीपों के संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में संविधान के प्रयोजनों के लिए वहां तक जहां तक कि उनके उन सदस्यों का संबंध है [2][संघ राज्यक्षेत्र में निवासी] हैं, अनुसूचित जनजातियां समझे जाएंगे ।

[3][अनुसूची

1. अंडमान निवासी, चारियर, चारी, कोरा, टाबो, बो, येरे, केडा, बीया, बालाबा, बोजिगियाब, जुबाई, कोल
2. जरावा
3. निकोबार निवासी
4. ओंगे
5. सेंटीनेली
6. शोम पेन ।]

---

[1] विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 405, तारीख 31 मार्च, 1959, भारत का राजपत्र, असाधारण, 1959, भाग 2, खंड 3(i), पृष्ठ 151 पर प्रकाशित ।

[2] 1976 के अधिनियम सं0 108 की धारा 4 और द्वितीय अनुसूची द्वारा (27-7-1977 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1976 के अधिनियम सं0 108 की धारा 4 और द्वितीय अनुसूची द्वारा (27-71977 से) अनुसूची के स्थान पर प्रतिस्थापित ।